



Neutral Citation No.- 2026:AHC:14999

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-1744 वर्ष 2026

राजू जोशी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: गौरव शर्मा, राहुल गौड़

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा के साथ-साथ राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक, भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए, 302, 201, 427, 34 के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 206/2024, पुलिस स्टेशन मालपुरा, जिला आगरा में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का मामला नामित आरोपी व्यक्ति राहुल जोशी के लिए बेहतर स्थिति में है, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2025 के आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-21786 में पारित दिनांक 4.8.2025 के आदेश द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक 27.11.2024 से जेल में बंद है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, इसलिए वह समानता के आधार पर ज़मानत पर रिहा किये जाने का भी हकदार है।

5. ज़मानत के लिए प्रार्थना का अपर शासकीय अधिवक्ता हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता और आवेदक के किसी आपराधिक इतिहास के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, और पारस राम विश्नोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/SCOR/22410/2021 के मामले में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और नान्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1993 क्रि.एल.जे. 938 के साथ-साथ सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 825 के मामले में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मामले में पारित इस न्यायालय के निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए मैं एक अन्य रिपोर्ट के साथ, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने समानता के आधार पर ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन को समानता के आधार पर अनुमति दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- राजू जोशी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो-दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष ज़मानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और ज़मानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से किसी भी तरह से गवाहों की गवाही पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 21, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.